जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सन्त कबीर नगर

राष्ट्रीय लोक अदालत

का आयोजन

दिनांक- 12 सितम्बर 2026

राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर शीघ्र, सुलभ व सक्षम न्याय पायें। न्याय शुल्क वापस प्राप्त कर आपसी भाईचारा बढ़ायें।

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

- माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार सम्पूर्ण भारत वर्ष में तहसील स्तर से लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय के स्तर तक।
- **राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12 सितम्बर 2026 को** किसी भी न्यायालय अथवा विभागीय मामलों को सुलह- समझौता के आधार पर निस्तारित किये जाने हेतु आवेदन-पत्र देकर अंतिम आदेश व निर्णय प्राप्त कर सदैव के लिए लम्बित मामले से छुटकारा पाने का स्वर्णिम अवसर।
- त्वरित, सस्ता, सुलभ न्याय प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है।

राष्ट्रीय लोक अदालत के लाभ

- पक्षों के मध्य आपसी सुलह- समझौते के आधार पर विवाद का निस्तारण।
- पक्षकार व्यक्तिगत स्तर पर स्वयं पहल कर सकता है।
- लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नही है।
- लम्बित मामलों के लोक अदालत में निस्तारण पर न्याय शुल्क की वापसी की व्यवस्था।
- लोक अदालत द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं।
- कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित।

राष्ट्रीय लोक अदालत में संदर्भित किये जाने योग्य वाद/विवाद

- सुलह योग्य फौजदारी वाद
- दीवानी वाद
- भरण- पोषण वाद
- वैवाहिक/पारिवारिक वाद
- स्टाम्प वाद/ पंजीयन वाद
- मोटर अधिनियम वाद
- चकबंदी वाद
- मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद
- श्रम वाद
- उपभोक्ता फोरम वाद
- कराधान प्रकरण
- बैंक रिकवरी वाद
- किरायेदारी वाद
- चेक बाउन्स से सम्बन्धित (धारा 138 एन.आई.एक्ट वाद)
- उत्तराधिकार प्रमाण सम्बन्धित मामले
- बिजली चोरी से सम्बन्धित शमनीय वाद
- नगर पालिका/ नगर निगम संबंधी जलकर/गृह कर मामले
- सेवा एवं सेवा निवृत्ति के परिलाभों से सम्बन्धित मामले
- चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत चालान
- मनोरंजन कर अधिनियम के अन्तर्गत चालान
- प्री-लिटिगेशन के माध्यम से ऐसे वाद जिसमें निष्पादन योग्य डिक्री पारित हो।
- स्थानीय विधियों के अंतर्गत सुलह योग्य वाद
- वन अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण
- पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत शमनीय वाद
- मनरेगा प्रकरण
- स्थायी लोक अदालत के मामले
- अन्य उपयुक्त वाद/ प्रकरण
- गृह कर, जल कर वाद
- आर्बिट्रेशन वाद

किसी भी वाद/ विवाद/ समस्या/ शिकायत को राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह- समझौते के आधार पर निस्तारण हेतु सम्बन्धित फोरम/ अधिकरण/ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी, जनपद न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा अधिकरण , सन्त कबीर नगर, से सम्पर्क कर अपने विवाद को निस्तारित करा सकते है।

(अनन्या साह)
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सन्त कबीर नगर

(कृष्ण कुमार- V)
नोडल अधिकारी लोक अदालत/
अपर जनपद न्यायाधीश (पॉक्सो)
संत कबीर नगर

(रणधीर सिंह)
जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सन्त कबीर नगर

टोल फ्री नम्बर- 15100